12463/FS/15
24/07/15 1604/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/8394/2015-पीएमआर दिनांकः , 2015

डायरी संख्या / Dy. No. 4772 दिनांक / Date 28/07/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रमेश वर्मा से प्राप्त दिनांक 1.7.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.7.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी.के. शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

बिंदु संख्या 3 के संगत अंश के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रमेश वर्मा
10, बिन्दल धर्मशाला मार्केट
बाजार वकीलान, हिसार
हरियाणा

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित सूचना कालांतर में प्रदान की जाएगी। इस कार्यालय से संबंधित बिंदु संख्या 3 के संबंध में चाही गई सूचना प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट (pmindia.gov.in) पर उपलब्ध है। अन्य मंत्रालयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अधिनियम की धारा 6(3) अनुसार जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या जिसकी विषय-वस्तु किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के कृत्यों से निकटतर रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस दूसरे लोक प्राधिकरण को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा। आपके द्वारा चाही गई जानकारी एक से अधिक दूसरे लोक प्राधिकरणों से संबंधित है। अतएव, आपके अनुरोध पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सूचना प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करें।

2. इस संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न वेबसाइट संबंधी जानकारी हेतु भारत सरकार के इन्टरनेट वेबपेज www.goidirectory.nic.in पर संपर्क किया जासकता है।

Forwarded online on 29/07/15 to DCP(C) (reg no. CMOEA/R/2015/02476)
US(RTI)

(3) in pmh. — DCP(C)

Entry 29/07/15 — My 29/7 — SO(RTI) — 29/7

8394 17/6/15

8394/2015

India Post

13 JUL 2015

GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF POSTS,
O/O SUPERINTENDENT OF POST OFFICE, HISAR POSTAL DIVISION,
HISAR-125001

(Registered/B/E)

To

The Central Public Information Officer
Hon'ble Office of Prime Minister of India
New Delhi-110001

NO: CR-RTI/114//2015-16 Dated at Hisar the 07/07/2015

Sub: Forwarding of Application received from Shri Ramesh Verma, 10, Bindal Dharamshala Market, Bazar Vakilan, Hisar (Haryana) under RTI Act, 2005

R/Sir,

1. Kindly find enclosed herewith an application dated 01/07/2015 received from Shri Ramesh Verma, 10, Bindal Dharamshala Market, Bazar Vakilan, Hisar (Haryana) under RTI Act, 2005, concerning your office, for your further necessary action please.

2. An amount of Rs 10/- towards RTI Fee has been deposited in Hisar HPO vide UCR Receipt No B-9921 dated 01/07/2015.

Superintendent of Post Offices,
(Central Public Information Officer)
Hisar Postal Division, Hisar-125001

D/A : As above

Copy to :-

Shri Ramesh Verma,
10, Bindal Dharamshala Market,
Bazar Vakilan, Hisar (Haryana)

- For information. Further correspondence in this regard may please be made with concerned office CPIO.

URGENT
RTI ACT
Diary No. 35554
& Date....13/07/15
Last Date 18/07/15

Sd/-
Superintendent of Post Offices,
(Central Public Information Officer)
Hisar Postal Division, Hisar-125001

4236268

पत्रांक- HT-1927-07-2015 Date : 01-07-2015

केन्द्र सरकार के नियमों द्वारा तय फार्म

फार्म- 'ए'

सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत सूचना लेने के लिए

सेवा में,

केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
नई दिल्ली। (मार्फत सीपीआईओ डाक अधीक्षक, हिसार)

1.	दरखास्तकर्ता का नाम	रमेश वर्मा
2.	पूरा डाक का पता	10, बिन्दल धर्मशाला मार्केट, बाजार वकीलान, हिसार (हरियाणा), मो. 92540-58674
3.	सूचना का विषय	जलपान व यात्राओं इत्यादि पर किए खर्च से संबंधित।
क.	मांगी गई सूचना का विवरण	1. प्रधानमंत्री कार्यालय व उसके विभागों द्वारा पिछले 6 माह में जलपान (चाय, बोतलबंद पानी, नाश्ता, सभी प्रकार की खाद्य सामग्री इत्यादि) पर सरकारी खजाने से हुए खर्च का विवरण प्रदान करें। 2. उपरोक्त अनुसार उपयोग की गई बोतलबंद पानी की खाली बोतलों को जहां व जिस प्रकार निपटाया गया, उनका विवरण प्रदान करें। 3. इस मंत्रालय से संबंधित सभी प्रकार के मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा पिछले 6 माह में विदेश यात्राओं पर किए गए खर्च का दौरे वार विवरण जिसमें देश का नाम, यात्रा पर जाने वालों का नाम, पदनाम, यात्रा का कारण, तारीख सहित सूचना प्रदान करें।
ख.	मांगी गई सूचना की अवधि	नामालूम
	सूचना डाक में या दस्ती चाहते हैं	डाक द्वारा चाहते हैं।
	दरखास्त की फीस का विवरण (पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट नं., नकद रसीद नं.)	

स्थान : हिसार
दिनांक : 01 जुलाई, 2015

आवेदनकर्ता

रमेश वर्मा
(नेशनल आरटीआई अवॉर्ड विजेता)
10, बिन्दल धर्मशाला मार्केट, बाजार वकीलान,
हिसार (हरियाणा) मो० : 92540-58674

(308)

S/551/24/2015

विदेश मंत्रालय

(दक्षिणी प्रभाग)

***

जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 23 मार्च 2016

सेवा में,

श्री रमेश वर्मा
10, बिंदल धर्मशाला मार्केट
बाज़ार वकीलान, हिसार
हरियाणा

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक – आरटीआई/8394/2015-पीएमआर दिनांक 13.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओ के बारे में जानकारी मांगी थी।

2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, **ऑस्ट्रेलिया** के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे । प्रधान मंत्री की इस यात्रा के लिए दक्षिणी प्रभाग, विदेश मंत्रालय से निमंलिखित अधिकारी ऑस्ट्रेलिया गए : श्री अनिल बाधवा, सचिव (पूर्व); श्री संजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव(दक्षिण) ; श्री मोहम्मद मोनिरुज्जुमान, उपसचिव (दक्षिण) और श्री रामबाबू सी , अवर सचिव (प्रशिक्षु अधिकारी) ।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है ।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

पूजा वेर्णेकर

(पूजा वी वेर्णेकर)
अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰ , विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)